Details for registration number : GOVUP/E/2026/0083234

Name Of Complainant	**Naresh Kumar Jaiswal**
Date of Receipt	**29/06/2026**
Received By Ministry/Department	**Uttar Pradesh**
Grievance Description	

To,

The Honorable Chief Minister,

Government of Uttar Pradesh, Lucknow (U.P.).

Reference: Special Appeal against the derogatory, defamatory, and misleading disposal of Public Grievance Registration Number: GOVUP/E/2026/0022145.

Respected Sir,

I, Naresh Kumar Jaiswal, resident of Surekapuram Colony, Jabalpur Road, Mirzapur, approach your esteemed office with deep distress and anguish regarding the blatant lack of sensitivity, character assassination, and unparliamentary conduct displayed by the local police administration on the state's transparent Janसुनवाई portal.

On 21/02/2026, I submitted a grievance addressed to the Superintendent of Police, Mirzapur, exposing a cognizable offense of criminal breach of trust, forgery, and land fraud. The complaint was backed by verified revenue records (Bhulekh / Khatauni)—available in the core reference file named "Nareshdoc.pdf"—proving that our ancestral and coparcenary property located in Village Bhatewara (Kon), Mirzapur, was fraudulently alienated by concealing my birthrights and executing sale deeds based on forged claims of sole ownership. This explicitly attracts sections 420, 406, 467, 468, and 471 of the IPC (or corresponding BNS equivalents).

However, instead of conducting a lawful investigation into the financial and document forgery, the Circle Officer (Sadar), Mirzapur, closed the case on 31/03/2026 by uploading a highly derogatory and abusive remark on the public portal. The official remark states: "आवेदक दिमाग से कुछ डिस्टर्व लगता है... अपनी पत्नि को छोड चुका है..." (The applicant appears to be mentally disturbed... has abandoned his wife...).

I raise the following severe legal and administrative objections against this unparliamentary

disposal:

1- Abuse of Public Grievance Portal & Derogatory Language: The Janसुनwai portal is established by the state government to provide dignified and transparent redressal to citizens. By recording that the applicant is "mentally disturbed" without any authorized medical board evaluation or clinical certificate, the concerned police officials have committed an act of public character assassination. This flagrantly violates my fundamental right to live with dignity under Article 21 of the Constitution. This abusive and diversionary language was intentionally used to frustrate the applicant and shield the perpetrators of the land fraud from criminal prosecution.

2-- Irrelevant Conflation with Matrimonial Dispute: The police report cites an ongoing maintenance case (Case No. 915/2021) pending in the Family Court of Gorakhpur. A citizen's personal matrimonial dispute is an entirely separate civil/matrimonial matter and does not strip him of his ancestral coparcenary property rights, nor does it grant immunity to anyone to commit forgery on public records.

3- Violation of Supreme Court Mandate: In Lalita Kumari vs. State of U.P., the Hon'ble Supreme Court categorically mandated that if a complaint discloses the commission of a cognizable offense, registration of an FIR is compulsory. The local police completely bypassed this mandate, labeled a clear case of forgery as a mere "father-son dispute," and weaponized a superficial action under sections 126/135 of the BNSS to shut the case.

PRAYER:

Therefore, I most humbly request your benevolent office to:

A) Vacate the Misleading Report: Order the immediate cancellation of the highly biased, abusive, and misleading report uploaded by the local police

.

B) Identify and Disclose the Defamating Officer: Provide the full name, designation, and login ID of the official who drafted and uploaded these derogatory remarks on the public portal, enabling me to initiate legal proceedings for criminal defamation and breach of service conduct rules.

C) Direct Registration of FIR: Issue strict directives to the senior district police authorities to log an FIR under relevant criminal sections (IPC 420/467/468 etc.) based on the verified revenue evidence attached

Current Status	**Grievance received**
Date of Action	**29/06/2026**
Officer Concerns To	

Forwarded to	**Uttar Pradesh**
Officer Name	**Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)**
Organisation name	**Uttar Pradesh**
Contact Address	**Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow**
Email Address	**arvind.12574@gov.in**
Contact Number	**05222226350**

UPGK02-002240-2021

Form No. 1

Family Court

IN THE COURT OF SHR[illegible]AQUE AHMED

Addl. Principal Judge Family Court IInd

Draft

SUMMONS TO AN ACCUSED PERSON

(See Section 61)

Criminal Misc. Cases/915/2021
PRIYANKA JAISWAL Vs NARESH KUMAR JAISWAL
//
NEXT DATE : 17-06-2022

To,

NARESH KUMAR JAISWAL
38
SUREKAPURAM, COLOY POST- BATHUWA, PS. KOTWALI, GORAKHPUR

WHEREAS your attendance is necessary to answer to a charge of offence punishable U/Sec. of , you are hereby required to appear in person (or by pleader, as the case may be) before the (Magistrate) of **Addl. Principal Judge Family Court IInd**, on the day of **17-06-2022**. Herein fail not.

Dated, this day of **25-04-2022**

Addl. Principal Judge Family Court IInd

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app **"eCourts Services"** from Android or iOS

The process is system generated and transmitted in secured manner by authorised user as such physical signature not applied.

Date:- 22/04/22

श्री मान थाना अध्यक्ष महोदय
थाना चील्ह जनपद मिरजापुर

सेवा में,

निवेदन है कि प्रार्थी नरेश कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार ग्राम भरेवरा थाना चील्ह जनपद मिरजापुर का निवासी है। प्रार्थी के गोर के अन्दर मन्दिर होने के कारन प्रार्थी वाला नहीं लगाता है। गोरे पड़ोस के भोला प्रसाद जायसवाल, शीतला प्रसाद पुत्रगण स्व० कैलाश राम आपत्ति करने लगे। गाली गलौज करने के साथ हाथापाई किया। प्रार्थी का परिवार 70 वर्षों से रही है ए लोग आए दिन परेशान करते है और जान से मारने की धमकी दिए है।

नोट: श्री मान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

mo० 9005697304

प्रार्थी

Nareshkjaiswal.

भारत सरकार

Government of India

नरेश कुमार जायसवाल

Naresh Kumar Jaiswal

जन्म तिथि/ DOB: 24/09/1983

पुरुष / MALE

3935 5334 9517

मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O अशोक कुमार जायसवाल,
सुरेका पुरम कॉलोनी, बथुआ,
महुअरिया, मिर्ज़ापुर,
उत्तर प्रदेश - 231001

Address:
S/O Ashok Kumar Jaiswal,
sureka puram colony, bathua,
Mahuaria, Mirzapur,
Uttar Pradesh - 231001

3935 5334 9517

1947 | help@uidai.gov.in | www | www.uidai.gov.in

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : भटेवरा (कोन)   परगना : (कंतित (कोन))   तहसील : सदर   जनपद : मिर्जापुर   फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)   भाग : 1   खाता संख्या : 00004

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
अशोककुमार / शिवशंकर / नि. ग्राम सन्तोषकुमार / पन्नालाल / नि चिल्ह मालती / नान्हक / नि0भटेवरा शिवशंकर मौर्या / स्व0 सुद्दू / तकिया दानूशाह घण्टाघर द्वारका प्रसाद साह / स्व0देवीप्रसाद साह / पक्की सराय तकिया दानूशाह संगीता गुप्ता / सुरेश कुमार गुप्ता / नि.तकिया दानूशाह घण्टाघर संतोष कुमार / स्व0 सुक्खीलाल / नि0 तकिया दानूशाह घण्टाघर रेखा साह / स्व0 देवीप्रसाद / नि0 सन्तोषी माता मंदिर के पास पक्की सराय	203	0.2800	वाद सं0 T201916530108990 तहसीलदार न्यायिक सदर मीरजापुर दिनांक 5.10.2019 मौजा भटेवरा की आ0नं0 203 रकबा 0.2800हे0 मे अपने हिस्से में से मात्र रकबा 925 वर्गफीट यानी 85.95वर्गमीटर लगानी परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती गुड्डी पत्नी अजय निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज कागजात हो। ह0रा0का0दि016.10.2019 वाद सं0 T202016530102446 तहसीलदार सदर मीरजापुर 01-9-2020 मौजा भटेवरा तप्पा कोन की आ0नं0 203 रकबा 0.2800 हे0 में से रकबा 1110 वर्गफीट यानी 103.159 वर्गमीटर लगानी परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र स्व0 शिवशंकर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती काजल भारती पत्नी अशोक भारती निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0रा0का0 14-9-2020 वाद सं0 T202116530101237 ना0त0 शहर मीरजापुर	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

			02-3-2021 मौजा भटेवरा की आ0नं0 203 रकबा 0.280 हे0 में अपने अंश में से रकबा 1369 वर्गफीट लगानी भू0रा0 परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र शिवशंकर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेता मुल्हुरा देवी पत्नी श्यामधर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0रा0का0 2-3-2021 वाद सं0 T202116530108461 ना0तह0 मझवां 16-08-2021 मौजा भटेवरा की आ0नं0 203 रकबा 0.2800 हे0 में अपने वैधानिक अंश में से रकबा 2730 वर्ग फीट यानी 253.71 वर्ग मीटर यानी 0.0253071 हे0 लगानी परता खाता से विक्रेता सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 पन्नालाल नि0 ग्राम चील्ह तप्पा कोन का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती चम्पा पत्नी प्रकाश नि0 ग्राम चील्ह तप्पा कोन पर0 कंतित तह0 सदर जिला मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0प्र0रा0का0 16-8-2021	
योग	1	0.2800		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-03/2026

दिनांकः मार्च 31 ,2026

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000260044412 दिनांक 17-03-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल नि0 सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सिटी, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी सदर, जनपद मीरजापुर से करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

31/3/26

पुलिस अधीक्षक
मीरजापुर।

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,

जनपद मीरजापुर।

कृपया आई0जी0आर0एस0 के सन्दर्भ संख्याः60000260044412,दिनांकः21.02.2026 के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल निवासी सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सिटी जनपद मीरजापुर (9005697304) के शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

1-आवेदक/आवेदिका का नाम/पिता का नाम पता व मोबाइल नम्बर- आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल निवासी सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सिटी जनपद मीरजापुर (9005697304) है।

2-विपक्षी का नाम,पता व मोबाइल नम्बर- अशोक कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवशंकर जायसवाल निवासी सुरेकापुरम कालोनी पोस्ट बथुआ मीरजापुर (9889496371) है।

3-आवेदक द्वारा की गयी शिकायत का विवरण-आवेदक उपरोक्त का मुख्यतःआरोप है कि पैतृक सम्पत्ति को आवेदक के पिता व भाई द्वारा विश्वासघात कर, धोखाधड़ीपूर्वक विक्रय कर देने आदि के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने तथा विपक्षीगण माता प्रसाद जायसवाल आदि द्वारा गाली गलौच करते हुये हाथापाही करने आदि के सम्बन्ध में,आदि कतिपय आरोप / तथ्य अंकित है।

4-जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- मुनेन्द्र पाल सिंह क्षेत्राधिकारी सदर,मीरजापुर।

5-जांच का सारांश/ समीक्षाः प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में प्र0नि0 चील्ह से आख्या प्राप्त की गयी, सम्बंधित से पूछताछ तथा अन्य श्रोतो से की गयी जानकारी।

1-आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल निवासी सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सिटी जनपद मीरजापुर से जरिये मो०नं0-9005697304 से सम्पर्क कर, प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में पूंछतांछ किया गया तो बताया कि मैं मूल रूप से ग्राम भटेवरा थाना चील्ह का रहने वाला हूं, हमारे पिता का नाम अशोक कुमार जायसवाल है, जो वर्तमान समय में सुरेकापुरम कालोनी पोस्ट वथुआ मीरजापुर में रहते है। मेरे पिता द्वारा वर्ष 2012 में हमारी शादी प्रियंका जायसवाल पुत्री स्व० गुलावचन्द जायसवाल निवासी आवास विकास कालोनी महादेव झारखण्डी पोस्ट कूड़ाघाट थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर के साथ हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार कराया गया था। मेरी एक बीटिया है, जिसका नाम अन्वी है। हमारी पत्नी प्रियंका जायसवाल वर्ष-2021 से हमसे अलग अपने मायके जनपद गोरखपुर में रह रही है तथा उसके द्वारा मेरे तथा मेरे पिता अशोक कुमार जायसवाल, माता गीता देवी, भाई सुरेश जायसवाल, बहन सुगन्धा जायसवाल के खिलाफ घरेलू हिंसा व भरण पोषण का मुकदमा जनपद गोरखपुर कोर्ट से किया गया है, जो वर्तमान समय में कोर्ट में चल रहा है। मेरी पत्नी द्वारा मेरे व मेरे परिवारीजन के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा करने के उपरान्त मेरे पिता द्वारा मुझे अपने बचाव के लिये घर से अलग कर दिया गया तथा पैतृक सम्पत्ति में मुझे कोई हक हिस्सा नहीं दिया गया एवं मेरे बिना जानकारी के कुल 08 जगह की भूमि बेच दी गयी। मेरे पिता व भाई सुरेश कुमार जायसवाल ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। मेरे पैतृक मकान के गेट के अन्दर एक मंदिर है, जिसमें मैं ताला नहीं लगाता हूं। मेरे पड़ोस के माता प्रसाद जायसवाल, शीतला प्रसाद जायसवाल के द्वारा हमे परेशान किया जाता है तथा गाली गलौच करते हुये, मेरे साथ हाथापाही किया गया। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी मेरे पिता कराये थे तो वह मेरे पत्नी प्रियंका जायसवाल से चल रहे कोर्ट के मुकदमें का निस्तारण कराये एवं पैतृक सम्पत्ति में मेरा हक हिस्सा दे।

02- विपक्षी अशोक कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवशंकर जायसवाल निवासी सुरेकापुरम कालोनी पोस्ट बथुआ मीरजापुर, जरिये मो0नं0-9889496371 पूंछने पर बता रहे हैं कि मेरा बेटा नरेश कुमार जायसवाल हमारी बात नहीं सुनता है और न ही कोई सेवा टहल ही करता है। मै मूलरुप से ग्राम भटेवरा थाना चील्ह का रहने वाला हूं। ग्राम भटेवरा में रहने के दौरान मेरा बेटा मुझसे बराबर अनावश्यक रूप से विवाद करता था। बेटे नरेश कुमार जायसवाल की पत्नी प्रियंका जायसवाल ने उसके इन्ही हरकतो से तंग आकर हमलोगो के खिलाफ गोरखपुर कोर्ट से मुकदमा कर दिया है, जिसमें तारिख पर नरेश जाता भी नहीं है। हमलोग कोर्ट में तारिख पर गोरखपुर जाते है। बेटे नरेश कुमार जायसवाल के कार्य एवं आचरण से क्षुब्ध होकर, मैं उसके साथ नहीं रहता है। हमारी वह प्रियंका जायसवाल ने वर्ष 2021 में हमलोगो के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा किया है। मैंने

कोई भी भूमि धोखाधड़ी करके नहीं बेचा है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बेचा है। मेरा बेटा गलत आरोप लगा रहा है। हमारे गांव के माता प्रसाद जायसवाल आदि से भी उसके द्वारा अनावश्यक रूप से कहा सुनी विवाद किया गया था। किन्तु गाली गलौच, हाथापाही नहीं हुआ था। इस प्रकार आवेदक के पिता द्वारा आरोपो के सम्बन्ध में पूंछ-ताछ करने पर बताया गया।

साक्ष्य समीक्षा / निष्कर्ष :-

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच के कम में सम्बन्धित से किये गये पूंछ-तांछ, अन्य श्रोतो से की गयी जानकारी आदि से पाया गया कि आवेदक श्री नरेश कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल निवासी सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सिटी जनपद मीरजापुर की शादी वर्ष-2012 में प्रियंका जायसवाल पुत्री स्व० गुलाबचन्द जायसवाल निवासी आवास विकास कालोनी महादेव झारखण्डी पोस्ट कूड़ाघाट थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर के साथ हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के कुछ दिन के बाद दोनो पति पत्नी व अन्य ससुरालीजन के मध्य वैचारिक मतभेद आदि होने के कारण, आवेदक की पत्नी अपने ससुराल से अपने मायके जनपद गोरखपुर चली गयी तथा वही पर अपनी पुत्री सहित रह रही है। आवेदक की पत्नी प्रियंका जायसवाल द्वारा आवेदक व उसके परिजनों के विरूद्ध घरेलू हिंसा व भरण पोषण का वाद दाखिल किया गया है, जो परिवाद संख्या-120569/ 2021 के रूप में मा०न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज सी०डि० द्वितीय गोरखपुर में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा अपने पिता के विरूद्ध पैतृक सम्पत्ति को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है तथा पैतृक सम्पत्ति में अपने हक हिस्से तथा पत्नी द्वारा कोर्ट में दाखिल किये गये वाद को समाप्त कराने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र दिया गया है।

यहां पर उल्लेखनीय हैं कि आवेदक द्वारा विपक्षी माता प्रसाद जायसवाल आदि के विरुद्ध भी एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, उक्त के सम्बन्ध में थाना चील्ह से प्राप्त आख्या के अवलोकन आदि से पाया गया कि आवेदक के मकान (बाउण्ड्री वॉल) के अन्दर मन्दिर है, उक्त मंदिर में पूजा पाठ करने की बात को लेकर, आवेदक के पड़ोसी विपक्षी माता प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० आशाराम जायसवाल, शीतला प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० आशाराम जायसवाल निवासीगण भटेवहरा थाना चील्ह मीरजापुर से आपस में कहा सुनी, विवाद हुआ था। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उभयपक्षों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा धारा-126/135 बी०एन०एस०एस० के तहत कार्यवाही दिनांक 06.03.2026 को की गयी है। शिकायती प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा विपक्षी के विरूद्ध गाली गलौच व हाथापाही करने आदि सम्बन्धी अंकित किये गये आरोपो के सम्बन्ध में जांच से पुष्टि होना नहीं पाया जा रहा हैं।

चूकि प्रकरण मुख्यतः पुत्र व पिता के मध्य पुस्तैनी जमीन / मकान के बंटवारे / हिस्सेदारी से सम्बन्धित हैं। आवेदक अपने पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा चाहता है। अतः आवेदक को निर्देशित किया गया कि अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार मा० न्यायालय में आवश्यक चाराजोई कर, देय अनुतोष प्राप्त करें।

6-आरोप सिद्ध हो रहे है या नहीं-उपरोक्तानुसार।

7- पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण-उपरोक्तानुसार।

8-अन्य कोई तथ्य-उपरोक्तानुसार।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:मार्च ,2025

28/3/26

(मुनेन्द्र पाल सिंह)
क्षेत्राधिकारी सदर,
मीरजापुर

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): चिल्ह

District/Unit (जिला/इकाई): मिर्ज़ापुर

1. **G.D. No. (रोजनामचा स.):** 039
2. **G.D. Date (रोजनामचा दिनांक):** 06/03/2026 16:33 बजे
3. **G.D. Type (रोजनामचा प्रकार):** निवारक कार्यवाई
4. **Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)):** अवर निरीक्षक
5. **Case Type (प्रकरण के प्रकार) :** प्रौढ
6. **Subject (विषय):**
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस
7. **G.D. Brief**
   इस समय मै उ0नि0 सुरेश राम रवानाशुदा रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्रभ्रमण करते हुए मय किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस के उपस्थित थाना आया। विवरण कार्यसरकार इस प्रकार रहा कि मै उ0नि0 थाना हाजा से प्रस्थान कर प्रा0पत्र के जाँच मे ग्राम भटेवरा पहुँचा जहा ग्रामीणो से ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के 1-नरेश जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम भटेवरा थाना चील्ह जनपद मीरजापुर व द्वितीयपक्ष के 1-अशोक कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिव शंकर जायसवाल उम्र करीब 59 वर्ष निवासी हालपता मुरेबापुरा कालोनी बथुआ थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर के मध्य मकान बटवारे को लेकर तनाव व कसीदगी व्याप्त है। उभय पक्ष कभी भी आपस मे लड झगड कर परिशान्ति भंग कर सकते है जिनके विरुद्ध परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस मे चालान मा0न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। मा0न्यायालय सेअनुरोध है कि उभय पक्षो को तलब कर भारी से भारी जमानत व मुचलके की धनराशि से लम्बी अवधि के लिए पाबन्द करने की कृपा की जाय ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम की जा सके। विस्तृत विवरण मुन्दर्जा चालानी रिपोर्ट है। पुन मै उ0नि0 कार्यसरकार हेतु अन्दर थानाक्षेत्र रवाना हुआ।
8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 06/03/2026
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): RAVINDRA BHUSHAN
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): RAVINDRA BHUSHAN MAURYA
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012090219

Altitude: 94 yd a.s.l
3/20/26 4:13 PM
Location provider: Fused
Chilh-Gargeri Marg
Chilh 231312
Uttar Pradesh
India